फर्द अहकाम

मंगा देवी बनाम पुष्प देवी वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 141/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार करने हेतु सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को अंतिम रूप से स्वीकार कर उपरोक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार तकासमत हेतु वाद को निर्णीत किया जाता है। वाद के बटवारा किया जाता है। डिक्री नियम मुताबिक लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।
		निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।
		पत्रावली कोतन दुरुस्त होकर नकल से ... हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(५२)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
1/2017	20/06/2017	24/01/2025

गंगादेवी पत्नी श्री राधामोहन शर्मा आयु 46 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम देवलिया पो0 ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

वादिया

बनाम

प्रभू देवी पत्नी लालाराम शर्मा आयु 44 वर्ष जाति हरियाणा ब्रामहण निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :— वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादिया की ओर से एड0 श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 2 बीघा ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादिया का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 18.06.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादिया की बहस सुनी गई। वकील वादिया ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
116	गंगादेवी पत्नी राधामोहन हि0 1/2 जाति ह0 ब्रा0 सा0 देवलिया तह0 सांगाने, प्रभू देवी पत्नी लालाराम हि0 1/2 जाति ह0ब्रा0 सा0 किशोरपुरा तह0 सांगानेर जयपुर खातेदार।	195	0.5100	गै.मु. 0.0800 चाही ए 0.4300	—
	योग	किता 1	0.5100	—	—

—: प्रस्तावित :—

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	गंगादेवी पत्नी राधामोहन जाति हरियाण ब्राहमण सा0 देवलिया पो0 टीकरिया, तह0 सांगानेर जयपुर खातेदार	195/1	0.2500	गै0मु0 0.0400 चाही ए 0.2150	—
	योग	किता 1	0.2500	—	—
2	प्रभू देवी पत्नी लालाराम जाति हरियाण ब्राहमण सा0 किशोरपुरा तह0 सांगानेर जयपुर खातेदार।	195/2	0.2550	गै0मु0 0.0400 चाही ए 0.2150	—
	योग	किता 1	0.2550	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ